न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 80 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/89)
पंजीयन दिनांक– 18.02.2021
निर्णय दिनांक– 22.07.2021

1. श्री नाना पिता सूरजमल लौहार, निवासी बांगरेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री किशन पिता सूरजमल लौहार, निवासी बांगरेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स / विपक्षीगण

बनाम

1. श्री अहमद हुसैन पिता ख्वाजा बक्ष मंसुरी मुसलमान, निवासी जावद दरवाजा, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती खैरूनिशा पत्नि अहमद हुसैन मंसुरी मुसलमान, निवासी जावद दरवाजा, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री फुलचंद पिता काशीराम धाकड़, निवासी बांगरेड़ा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री किशन पिता भागीरथ धाकड़, निवासी बांगरेड़ा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री संजय पिता बलवंतसिंह नाहर, निवासी बांगरेड़ा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री कमल पिता बलवंतसिंह नाहर, निवासी बांगरेड़ा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्री रितेश पिता बलवंतसिंह नाहर, निवासी बांगरेड़ा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स / प्रार्थीगण

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा –अधिवक्ता अपीलांट्स
2. संजय सेन –अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के प्रकरण
संख्या–24 / 2016 निर्णय दिनांक 14.06.2016

निर्णय

दिनांक 22.07.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 24/2016 निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 20.06.2016 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बांगरेडा, तहसील निम्बाहेडा में हमारे खाते आधिपत्य की भूमि है जिसकी पत्थरगढ़ी करवाई जावे, जिस पर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 को विपक्षी के रूप में संयोजित किया जाकर नोटिस जारी किये गये थे। जिस पर अपीलांट्स/विपक्षीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो अपना जवाब पेश किया और पत्थरगढ़ी की आवश्यकता नहीं होने के बारे में अपना पक्ष रखते हुए रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया। इसी दरमियान उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत बांगरेड़ा में नियत किया गया जिसका नोटिस भी प्राप्त हुआ और उनसे उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर करवाये और पिछे से आदेशिका यह लिखते हुए कि "सभी पक्षकार पत्थरगढ़ी हेतु सहमत है, पत्थरगढ़ी के आदेश जारी हो" जबकि अपीलांट्स/विपक्षीगण द्वारा ऐसी कोई सहमति नहीं दी थी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 24/2016 निर्णय दिनांक 14.06.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.06.2017 से

निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *''पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बांगरेडा में पेश हुई। सभी पक्षकार पत्थरगढ़ी हेतु सहमत है, पत्थरगढ़ी के आदेश जारी हो।''*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन, उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 5, 6 व 7 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड पर यह बात भलीभांति थी कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स को बिना वजह से परेशान करने तथा उनकी ट्यूबवेल को हड़पने के लिए सुनियोजित तरीके से जालसाजी करते हुए बार–बार पत्थरगढ़ी करवा रहे है और जिसका अपीलांट्स/ने सम्यकपूर्वक जवाब दिया और प्रार्थना पत्र का खण्डन किया, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तरीके से जाते हुए यह लिख दिया कि पक्षकार सहमत है, जबकि पक्षकार सहमत नहीं थे और वे उक्त प्रकरण को कंठस्थ कर रहे है, वे इसमें सहमति नही दे सकते है। बावजूद इसके उपस्थिति बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर करा बाद में सहमति का अंकन करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया। विधि का यह सुस्थापित नियम है कि सर्वेक्षण की कार्यवाहियां बंद होने के उपरांत सीमा संबंधित विवाद होने पर काश्तकार अपनी भूमि की सीमा बाबत पत्थरगढ़ी करवा सकता है, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर नपती कर पत्थर गाढ़कर उसकी सीमा सुनिश्चित कर दी जाती है। जिस हेतु बार–बार पत्थरगढ़ी कराये जाने का कोई विधि में प्रावधान नही है। उक्त

प्रकरण में भी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्व में मुकदमा नम्बर 42/2009 में पत्थरगढ़ी करवा चुके है। उसके बाद प्रकरण संख्या 16/2012 से पत्थरगढ़ी करवा चुके है। उसके बाद पुनः पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2015 को राजस्व लोक अदालत में पेश किया था, जिसका अपीलांट्स द्वारा सम्यकपूर्वक जवाब दिया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र खारिज किया था। बावजूद इसके पुनः एक नये सिरे से प्रार्थना पत्र मनमकसूद तरीके से प्रार्थना पत्र कारण बनाकर दिनांक 05.03.2016 को नया प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी अपीलांट द्वारा जवाबदेही की गई और पुनः उसी प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में स्वीकर कर लिया और सहमति अंकित कर दी, जिससे स्पष्ट है कि पत्थरगढ़ी एक बार होने के बाद में बार–बार नहीं हो सकती है और एक ही न्यायालय द्वारा एक बार उसे स्वीकर किया, दूसरी बार इन्कार किया और पुनः स्वीकार कर लिया जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 महज अपीलांट्स को परेशान करने तथा उनकी भूमि में स्थित ट्यूबवेल को हडपने के आपराधिक उद्धेश्य से पेश किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी काश्त की भूमि में लगभग 8 से 9 ट्यूबवेल खुदवा रखी है, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला और अपीलांट्स की लगती हुई भूमि में अपीलांट्स ने भी ट्यूबवेल खुदवा रखा है, जिससे अपीलांट की भूमि में सिंचाई होती है और उसी ईर्ष्यावश कि येनकेन प्रकारेण ट्यूबवेल वाली जमीन को वे अपनी आराजीयात की बताने पर आमादा है जिस हेतु बार–बार पत्थरगढ़ी करवाने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली तो उनके द्वारा उक्त भूमि को रास्ता बताकर सिविल न्यायाधीश, निम्बाहेडा में वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अहमद हुसैन वगैराह बनाम नानालाल वगैराह प्रकरण संख्या 50/2010 ई.दी. होकर विचाराधीन है तथा उसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित कर रखा है। बावजूद इसके परेशान करने के लिए तथा अवैध रूप से अपीलांट्स की ट्यूबवेल को हडपने के लिए बार–बार पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया

जा रहा है और उस पर आदेश करवाये जा रहे जो प्रथम दृष्ट्या ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है और ऐसे दुर्भावनापूर्ण जो प्रार्थना पत्र पेश किये जाते है, वे प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किय जाने योग्य थे। बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर आदेश करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। साथी ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गय

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि यह अपील पत्थरगढ़ी आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई एवं आदेशिका दिनांक 14.06.2016 पर दोनो अपीलांट के हस्ताक्षर तथा अन्य पक्षकारान के भी हस्ताक्षर है। आदेशिका पर सुस्पष्ट रूप से यह अंकित है कि पक्षकारान पत्थरगढ़ी हेतु सहमत है। आदेशिका एवं पक्षकारन के हस्ताक्षरों एवं सहमति से प्रथमदृष्टया अपीलांट का अब सहमति नही वर्णित करना औचित्य नहीं है, क्योकिं न्यायालय में पेश सहमति को अब नहीं माने जाने का कोई आधार नही है। अपीलांट द्वारा प्रकरण में अन्य उज्र यह लिया है कि प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेंट बार–बार पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, परंतु अपीलांट द्वारा जिन आराजीयात का अपीलाधीन आदेश है उनकी पूर्व में पत्थरगढ़ी किये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। वैसे भी पत्थरगढ़ी तथा सीमा ज्ञान पुनः कराये जाने पर कोई विधिक रोक नही है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायालय के पत्थरगढ़ी आदेश दिनांक 14.06.2016 की पालना में दिनांक 20.06.2016 को पत्थरगढ़ी करवा कर पर्चा मौका भी मुर्तिब किया जा चुका है। अर्थात न्यायालय आदेश की क्रियान्विति को अक्रियांवित **(Undone)** किये जाने का कोई आधार एवं तार्किकता नही है। अपीलांट स्वयं यह कहता यह कहता है कि

सिविल न्यायालय में वाद लम्बित है तो उक्त वाद से ट्यूबवेल व रास्ते इत्यादि का निर्धारण हो सकेगा।

उपरोक्त समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि सहमति के आधार पर दिनांक 14.06.2016 को पत्थरगढ़ी का जारी आदेश क्रियान्वित हो चुका है तथा उक्त आदेश में हम तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नही पाते अतएवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर